3
विकास कार्यनीति

3.1	मास्टर प्लान की आवश्यकता एवं महत्व	65
3.2	लक्ष्य एवं उद्देश्य	65
3.3	दृष्टिकोण	66
3.4	अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	68
3.5	विकास धारणा	69
3.6	अनुबंधन एवं संयोजन	72
3.7	जनसंख्या पुर्वानुमान	72

विकास कार्यनीति

3.1 मास्टर प्लान की आवश्यकता एंव महत्व

3.1.1 पोर्ट ब्लेयर के लिए समय की आवश्यकता, पारिस्थितिकी पदचिह्न् को बिना हानि पहुँचाए आकस्मिक विकास को नियंत्रित करना, यातायात सघनता को कम करना एंव बेमेल भूमि उपयोग को रोकना है तथा क्रमानुसार एंव सतत् तरीके से विकास को प्रोत्साहित करना है। यह केवल तभी संभव है जब मास्टर प्लान जैसे सांविधिक साधन तैयार किया जाए । "अण्डमान तथा निकोबार द्वीप नगर एंव ग्राम नियोजन नियमावली 2005" के अनुसार कोई भी व्यकित या निकाय (सरकारी विभाग या प्रशासन सहित) द्वारा किसी भी विकास क्षेत्र मे भूमि का विकास नही किया जाएगा जब तक कि वे नगर योजनाकार से लिखित रुप में इस प्रकार के विकास की अनुमति प्राप्त न कर लें ।

3.1.2 नियोजन विभिन्न उद्देश्यों जैसे आवसीय, औद्योगिक, वाणिज्य, मनोरंजन, सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक इत्यादि के प्रयोग के लिए भूमि आबंटन द्वारा आसन्न वर्षो के लिए विवकेपूर्ण तरीके से अपेक्षित स्थान सुरक्षित रखता है । यह वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सड़कों का व्यापक स्तरीय जाल, गली प्रतिरुप तथा यातायात संचलन भी प्रस्तावित करता हैं । योजना पर्यवरण को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक वास्तुकीय पारिस्थिकीय हितों तथा शैक्षिक मुल्य के क्षेत्रों के परिरक्षण, संरक्षण तथा विकास के लिए अपेक्षित क्षेत्रों का पहचान भी करता है । मास्टर प्लान संघीय प्रदेश तथा पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका सहित स्थानीय सरकारों के सभी संबंधित मुलभूत भवन अभिकरणों को उनके भविष्य के कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को रुप प्रदान करने हेतु आधार भी तैयार करता है । मास्टर प्लान के भाग के रुप में समाविष्ट विकास विनियम योजना उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक औजार का काम करता है । विकास विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी अन्य नियम के उल्लंघन के समान है।

3.2 लक्ष्य तथा उद्देश्य

3.2.1 इस मास्टर प्लान का उद्देश्य पोर्ट ब्लेयर तथा इसके वातावरण को सामाजिक आर्थिक विकास तथा इसके पारिस्थितिक मृदुल वातावरण को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता जीवन में वृद्धि सहित विकास करना है । योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:-

- नये भौतिक अस्तित्व एंव क्रियाकलापों को व्यवस्थित ढंग ये नियमित करना ।
- आत्मनिर्भर एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देना ।
- संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा संतुलित आर्थिक प्रगति प्राप्त करना ।
- द्वीपों के परिस्थितिकी पदचिह्न तथा वहन क्षमता के साथ व्यवस्थित स्थान विकास को उत्साहित करना ।

3.3 दृष्टि कोण

3.3.1 विकास धारणा का विकास मास्टर प्लान की तैयारी में एक महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि यह अपेक्षित विकास नीतियों तथा भविष्य के लिए कार्यनीतियों के निर्माण के लिए मार्गदर्शन करता है । विकासधारणा लोगों को बसाने के सामर्थ्य, कमी, अवसरों तथा खतरों के समझ के संश्लेषण का परिणाम है । अतीत तथा वर्तमान विकास परिदृश्य, प्रासंगिक मुदे तथा संभावना बोध समार्थ्य, कमी, अवसर तथा खतरों के विश्लेक्षण की तैयारी के लिए आधार प्रदान करता है।

पोर्ट ब्लेयर तथा इसके आस पास के क्षेत्रों के सामर्थ्य एवं अवसर शामिल है:

- अनुपयोग संसाधानों जैसे पर्यटन, मछली पकड़ना तथा वानिकी के बडे विन्यास ।
- विकास क्रियाकलापों के लिए निधियों की उपलब्धता ।
- उच्च शाक्षरता दर तथा उच्च प्रति व्यक्ति आय ।
- औषधीय पौधे, मशाले, नारियल तथा विशेष जाति के वनस्पति की संभावना ।

कमजोरी और खतरें को निम्न प्रकार से संक्षेपण किया गया है :

- अर्थव्यवस्था कि कमजोर स्थिति तथा बढ़ती बेरोजगारी ।
- अपर्याप्त गुणवता मूलभूत संरचना ।
- असंतुलन विधि तथा विकास सघनीकरण ।
- नगर कि सीमित वहन क्षमता ।
- सुनामी, भूकंप तथा ज्वारों जैसी आपदाओं की दुर्बलता ।

3.3.2 विकास मुद्दों तथा संभावनाओं के विस्तृत परीक्षण से यह प्रकट होता है कि पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र को सटे गाँवों से अलग नही किया जा सकता । सामर्थ्य और अवसरों को केवल पोर्ट ब्लेयर नगर तक सीमित नही किया जा सकता, न ही कमी एवं खतरों को । अत: विकास धारणा के उपयुक्त प्रभाव से पोर्ट ब्लेयर के आस पास के बास्तियों के बाहर भी विकास हो सकता था । यह परमावश्यक है कि पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका सीमा के बाहर भी स्थान के आस्तित्व का सीमा निर्धारण हो तथा इस संबंध में योजना क्षेत्र का चित्रण विकास धारणा के क्रमिक विकास में प्रथम अवस्था होगा ।

3.3.3 “नियोजन क्षेत्र का चित्रण” उन्नति के लिए विद्यमान विकास तथा संभावना में झुकाव के आधार पर अधिक बस्तियों सहित शहर के बाहर के क्षेत्र को पहचानने का स्थान संबधी योजना प्रयोग है । विभिन्न आयामों के तहत बस्तियों का विश्लेषण करने के पश्चात् अत्यंत सावधानी के साथ चित्रण की योजना बनाया गया है । दक्षिण अण्डमान में पोर्ट ब्लेयर से सटे बस्तियों का वैज्ञानिक तथा युक्तिसंगत तरीके से पाँच महत्वपूर्ण आयामों - भौतिक, जनसंख्यिकी, आर्थिक, परिवहन एवं संचार तथा सामाजिक मूलभूत ढाँचे की

सुविधाओं के आधार पर विश्लेषण किया गया । ऊपर बताए गए प्रत्येक आयामों के तहत कुछ पैरीमीटरों की पहचान की गई है तथा जो संबधित आयाम की स्थिति, सामर्थ्य तथा संभावना को प्रतिबिम्बित करती है, अंक दिया गया । उसके द्वारा प्रत्येक आयामक के तहत प्राप्त संचयी अंको के आधार पर बस्तियों का कोटिकरण किया गया। इन अंको के आधार पर पोर्ट ब्लैयर सहित 31 गाँवों तक फैले समपिस्थ भाूमिक्षेत्र को पोर्ट ब्लैयर योजना क्षेत्र के रुप मे चित्रण किया गया । गाँवों का विवरण तालिका 3.3.3 में प्रस्तुत किया गया है ।

तालिका सं 3.3.3 पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र में राजस्व गाँवों की सूची

क्र.सं.	**गाँवों के नाम**	**क्षेत्र (हैक्टेयर) में**	**क्र.सं**	**गाँवों के नाम**	**क्षेत्र (हैक्टेयर) में**
1	विम्बर्लीगंज	184.35	17	हस्मटाबाद	248.25
2	स्टीवर्टगंज	83.14	18	धनीखाड़ी	354.13
3	गोविन्दपूरम	109.03	19	मंगलूटान	716.54
4	शोरप्वाइंट	62.23	20	प्रात्रापूर	463.36
5	टुसनाबाद	262.27	21	बिडनाबाद	616.25
6	मीठाखाड़ी	805.08	22	ब्रिजगंज	431.34
7	ओग्राब्राज	373.87	23	ब्रुक्शाबाद	414.66
8	मुस्लिम बस्ती	298.09	24	कालीकट	421.50
9	नमूनाघर	1311.83	25	सिप्पीघाट	381.37
10	डंडसप्वाइंट	167.26	26	टेलराबाद	413.05
11	छोलदारी	1054.87	27	डॉलीगंज	172.87
12	बदमाश पहाड़	98.46	28	पहाड़गांव	172.90
13	कैकाबाद	39.49	29	बम्बूफ्लाट	357.27
14	हाम्फ्रीगंज	183.38	30	बिम्लीटान	1997.83
15	मेम्यों	309.67	31	गराचरामा	585.91
16	वन्डूर	707.87		कुल	13938.16
				पोर्ट ब्लेयर शहर	**1774.00**
				कुल क्षेत्र	**15572.12**

3.3.4 किसी भी मास्टर प्लान में विकास कार्यनीति को इस प्रकार धारण किया जाए जिसमें उपयोग हेतु भूमि रखा जाए तथा भूमि उपयोग क्षेत्र योजना का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाए । विकास धारणा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि योजना क्षेत्र मे वर्तमान में उपयोग हेतु रखे गए भूमि के प्रतिरुप का अध्ययन करें । पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र के भूमि उपयोग का विवरण तालिका 3.3.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा मानाचित्र 7 में भी दर्शाया गया है ।

तालिका सं 3.3.4 भूमि उपयोग वितरण: 2008- पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र

भूमि उपयोग	**क्षेत्र (हैक्ट)**	**क्षेत्र(%)**
आवासीय	2882.53	18.51

मिश्रित आवासीय	9.51	0.06
वाणिज्य	135.18	0.59
उद्योग	451.90	0.87
सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक	485.38	2.90
यातायात तथा परिवहन	200.56	1.29
मनोरंजन	18.91	0.12
कृषि	2934.10	18.84
रक्षा	737.46	4.74
आरक्षित वन	4973.05	31.94
अन्य वन	1252.36	8.04
जल निकाय	125.67	0.81
कच्छ वनस्पति (मैग्रोव)	23.64	0.15
सड़क	388.48	2.49
रिक्त	569.74	3.66
जलमग्न भूमि	730.76	4.69
कब्रिस्थान/शमशान कुल	46.78	0.30
कुल	**15572.12**	**100.00**

भूमि उपयोग नीति, मास्टर प्लान के उद्देश्यों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है तथा कोई भी आर्थिक विकास कार्यक्रम, भौतिक योजना प्रयोग में प्रकट होता है । अत: विकास धारणा को पहले आर्थिक सुदृढ़ीकरण के मुद्दे को हल करने का प्रयत्न करना है ।

3.4 अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

3.4.1 पिछले अध्याय में यह स्थापित किया गया है कि पर्यटन तथा मत्स्यकीय क्षेत्र रोजगार पैदा करने तथा आर्थिक विकास प्रदान करने में योगदान कर सकता है । इस क्षेत्रों के क्रियाकलापों को गति प्रदान करने के लिए पोर्ट ब्लेयर में या इसके आस पास के गाँवों की पहचान करना आवश्यक है । जब मत्स्य क्षेत्र को मछली पकड़ने से संबांधित क्रियाकलापों जैसे शीतभण्डार , मछली प्रसंस्करण ईकाई आदि के लिए स्थानों की आवश्यकता पड़ी, तब इस प्रकार के विकासों की उन्नति के लिए जंगलीघाट, डॉलीगंज तथा ब्रुक्शाबाद को संभावित बस्तियों के रुप में पहचान की गई ।

उद्योग विभाग पोर्ट ब्लेयर में एक समन्वित कार्यालय संकुल का प्रस्ताव कर रहा है । इसी प्रकार इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत बिम्बर्लीगंज में विद्यमान औद्योगिक परिसंपत्ति (इस्टेट) का मजबूतीकरण , जहाज के मरम्मत हेतु औद्योगिक ईकाइयों का सृजन तथा 20 मिलियन टन क्षमता वाले शीत भण्डार संयंत्र का निर्माण करना है । जिसका उद्देश्य शहर की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है ।

3.4.2 सभी पर्यटक गंतव्य स्थल ,कुछ ना कुछ अनुपम उपलब्ध कराता है । इन द्वीपों की अंतरष्ट्रीय यात्रा स्वच्छ समुद्री किनारे, अनन्यता, श्वासयंत्र सहित गोताखोरी, तंबू निवास,

पक्षी अवलोकन (स्थानीय पक्षी विज्ञान), खेल, मछली पकड़ना आदि के आनन्द का अनुभव जीवन काल में एक ही बार मिलता है । एक निश्चित् सीमा के बाद प्राकृतिक आकर्षण गंतव्य स्थान का निर्णय लेने में अपेक्षिक रुप से कम भूमिका निभाता है । अत: पर्यटकों के लिए पर्यवरण से संबंधित अन्य अतिरिक्त मनोरंजन केन्द्रों का सृजन भी करना होगा ।

3.5 विकास धारणा

3.5.1 इस द्वीप का केन्द्र बिन्दु होने के कारण पोर्ट ब्लेयर शहर का कुछ वर्षो में सघन विकास हुआ है तथा विविध प्रकार के क्रियाकलापों से संबद्ध रहा जिसके करण इस शहर की जनसंख्या का धनत्व अपेक्षाकृत बढ़ा है तथा नगरपालिका क्षेत्र के बाहर अनियोजित तथा अनियमित तरीके से विकास हुआ है । शहरी विकास योजना का रुप एवं कार्यान्वियन दिशानिर्देश के सुझाव के अनुसार पहाड़ी शहरी के विकास क्षेत्रों के लिए घनत्व 60-90 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर होना चाहिए । वर्ष 2006 में पोर्ट ब्लेयर शहर का सकल घनत्व 94 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर था तथा यह अगले 20 वर्षो में 125 प्रति हैक्टेयर तक पहुँचने की आशा है । क्योंकि यह घनत्व वांछनीय मानको से अधिक है, अत: पोर्ट ब्लयेर के बाहर अतिरिक्त क्षेत्रों का विकास करना आवश्यक हो गया है तथा पहले से पोर्ट ब्लेयर के अन्दर आवासीय विकास हेतु अतिरिक्त भूमि के सृजन की बाध्यता है । यह ध्यान देने योग्य है कि भूमि का लगभग 20% भाग रक्षा तथा वायुपत्तन स्थापना के अन्तर्गत आता है । ढालू भूमि के विश्लेषण के अनुसार निर्दिष्ट प्रकार की भूमि का 20% भाग शहरी विकास के लिए अयोग्य है । अंतत: केवल 40% यानि 5.65 वर्ग कि.मी. ही विकास एवं साथ ही सघनीकरण के लिए उपलब्ध है । अत: इस समय पोर्ट ब्लेयर में जो विभिन्न क्रियाकलाप चल रहा है उसे योजना क्षेत्र के अन्दर कहीं भी नियमित एवं विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता है । पोर्ट ब्लेयर के चारों ओर के क्षेत्र की अद्वितीय विशेषताएं तथा भू-आकृति एवं संपर्कता के संबंध में बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय है कि भविष्य में विकास निम्न विवरणानुसार तथा आकृति 3.5.1 मे दर्शाए गए अनुसार विभिन्न बिन्दुओं में किया जाए ।

3.5.2 **आवसीय केन्द्र :** इस समय पोर्ट ब्लेयर में अत्याधिक आवासीय धनत्व से उत्पन्न अभिकेन्द्री बल के कारण यह अवलोकन किया गया कि बम्बूफलाट तथा गाराचरामा के पोर्ट ब्लेयर से उनकी समीपता तथा संपर्कता के कारण आवासीय केन्द्रों के रुप में उभर रहा है । योजना अवधि के भीतर, मास्टर प्लान में अपेक्षित विकासों के कारण पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम में योजना क्षेत्र के सभी इलाकों में समान उन्नति के लिए आवसीय मांग उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । अत: टुसनाबाद में एक और आवासीय केन्द्र भी बनाने का निर्णय लिया गया है । प्रत्येक आवसीय केन्द्रों के अधीन बन रहे गांवों के समूह इस प्रकार है :

आवासीय केन्द्र	केन्द्र के भाग के रुप में गांवों की बनावट

बम्बूफलाट	विम्बर्लीगंज, स्टीवर्टगंज, गोविन्दपूरम, बम्बूफलाट तथा शोरप्वाइंट
गराचरामा	प्रात्रापूर ,गाराचरामा, तथा टेलराबाद
टुसनाबाद	नमूनाघर, मुस्लिम बस्ती, ओग्राब्राज तथा टुसनाबाद

भूमि -बाध्यताओं की समस्या के कारण पार्ट ब्लेयर शहर अधिक समय तक शिक्षा क्षेत्र में अतिरिक्त मूलभूत संरचना को स्थान प्रदान नही कर सकता । फिर भी समाजिक विकास तथा संपूर्ण द्वीपों की जनसंख्या की आवश्यक्ताओं की पूर्ति हेतु , नियोजन क्षेत्र में उच्च शौक्षिक सुविधाओं को स्थापित करने की आवश्यक्ता है । डॉलीगंज में एक निश्चित स्तर तक की शैक्षिक सुविधाएँ पहले से ही स्थापित है , जिसे नयी सुविधाओं के सृजन के अलावा मजबूती भी प्रदान करना है । उच्च स्तर की सुविधाएँ जैसे इंजीनियरी कालेज, अनुसंधान संस्थान आदि का विकास भी ओग्राब्राज में करना है जिसे स्थानीय रुप से संतुलित तरीके से उच्च स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवासीय केन्द्र के भाग के रुप में विकास करने का प्रस्ताव है ।

3.5.3 **वाणिज्यिक केन्द्र :** मुख्यभूमि तथा आंतरिक द्वीपों से प्राप्त सामानों के वितरण के लिए पेार्ट ब्लेयर द्वीपों के द्वार मार्ग का कार्य करता है । वर्तमान में अधिकतर वाणिज्यिक क्रियाकलाप पोर्ट ब्लेयर के भीतर ही सीमित है और इस शहर में पहले से ही भूमि संबंधी बाध्यताएं है । भावी विकास पर विचार करते हुए, पर्यटन को अर्थ उत्पन्न करने की क्रियाकलाप के रुप में अधिक बढ़ावा देना होगा । विकेन्द्रीयकरण प्रक्रिया के कारण उपलब्ध अतिरिक्त स्थानों का लाभ उठाते हुए पोर्ट ब्लेयर को वाणिज्यिक केन्द्र के रुप में विकसित किया जा सकता है । वाणिज्यिक क्रियाकलापों के संतुलित विकास हेतु पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम में मीठाखाड़ी को एक अतिरिक्त वाणिज्यिक केन्द्र के रुप में प्रस्तावित किया गया है ।

आकृति सं 3.5.1 पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र में प्रस्तावित विकास केन्द्र

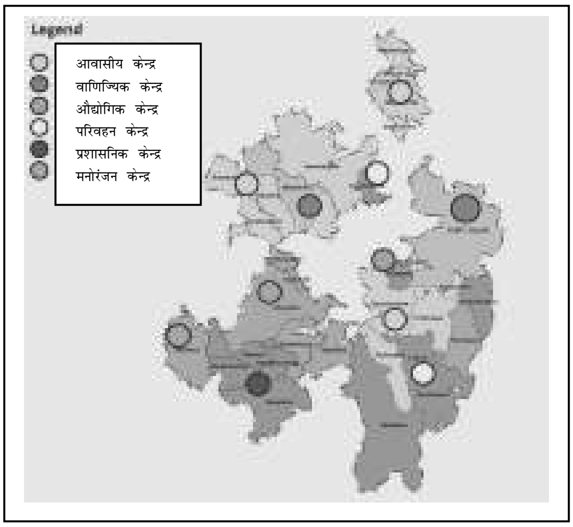

3.5.4 **प्रशासनिक केन्द्र :** इन द्वीपों के प्रशासनिक कार्य के लिए 50 से अधिक सरकारी कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर तथा इसके चारों ओर स्थित है । पोर्ट ब्लेयर में सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजानिक क्षेत्र के अधीन अत्यधिक भूमि होने का एक कारण अधिक संख्या में

सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारी आवासो का इसी क्षेत्र मे मौजूद होना है । सरकार के विभिन्न क्षेत्रों को एवं विभागों के पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में भी यह पाया गया है कि वे अपने भविष्य की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए भूमि और भवनों के विस्तार पर विचार किए है । जबकि भूमि की उपलब्धता एक निर्णायक तत्व है फिर भी यह वांछनीय है कि इस प्रकार की प्रक्रिया को नये प्रशासनिक केन्द्र में पुन:स्थापित किया जा सकता है , जिससे कि पोर्ट ब्लेयर की भीडभाड़ को कम करने का रास्ता प्रशस्त हो सके । यह विचार किया गया है कि सभी नये कार्यालय और आवासों का मंगलुटान में प्रस्तावित नये प्रशासनिक केन्द्र में नये सिरे से निमार्ण किया जा सकता है । इस संघशासित प्रदेश के राज्य घोषित होने पर मंगलूटान का प्रशासनिक केन्द्र अपनी स्थिति के कारण सचिवालय तथा विधान सभा संकुल को स्थान प्रदान कर सकता है । प्रस्तावित प्रशासनिक केन्द्र के अन्तर्गत हाम्फ्रीगंज, मंगलूटान गांव आता है । ऊँची भूमि होने के कारण यह केन्द्र समुद्र का दर्शनीय नजारा प्रस्तुत करता है ।

3.5.5 **परिवहन केन्द्र :** अण्डमान तथा निकोबार द्वीप मुख्य भूमि से समुद्री एवं वायु मार्ग से जुडा है । जबकि दो प्रकार के मार्ग इन द्वीपों के विकास और उन्नति के लिए अनिवार्य है, फिर भी वायु परिवहन, पर्यटक आकर्षण एवं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है । यद्यापि पोर्ट ब्लेयर के वायुपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल के रुप में विकसित किया गया है तथपि अंतरष्ट्रीय उड़ानों के संचालन में कठिनाईयां होती है क्योंकि टर्मिनल के विस्तार में कई बाध्यताएं है । अण्डमान तथा निकोबार मे पर्यटकों के आने की संख्या में संतुलित वद्धि हो रही है तथा इस क्षेत्र को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने हेतु यह अनिवार्य है कि नये स्थान पर विश्वस्तर का अन्तर्राष्ट्रीय वायुपत्तन बनाया जाए तथा इसके समीप ही पर्यटकों के लिए आवश्यक मुलभूत ढांचा का विकास किया जाए । नये अन्तरष्ट्रिीय वायुपत्तन तथा नये यात्री जेट्टी के लिए कालीकट बिम्लीटान तथा बिडनाबाद गांवो की परिवहन केन्द्र के रुप में पहचान की गई है । उसके अतिरिक्त स्थिति एवं पोर्ट ब्लेयर से संपर्कता देखते हुए अतिरिक्त परिवहन केन्द्र के रुप में उतर में डन्डस प्वाइंट की पहचान की गई है ।

3.5.6 **पर्यटक केन्द्र :** यद्यपि अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समुह ने अनके स्थानो में पर्यटन के विकास हेतु उत्तम अवसर प्रदान किए है तथापि अधिकतर पर्यटक केवल पोर्ट ब्लेयर तक ही सीमित रहते है । पोर्ट ब्लेयर के चारों ओर पर्यटन के विकास की आवश्यक्ता है । अपनी अवस्थिति के कारण तथा पोर्ट ब्लेयर से समीपता के कारण फलैट बे को गोताखोरी सर्फिंग तथा नौका चालन जैसे जलक्रीडा के लिए विकसित किया जा सकता है । कैकाबाद, छोलदारी तथा बदमाश पहाड़ गांवो को फलैट बे आने वाले पर्यटको के लिए आवश्यक समर्थन सुविधाएं प्रदान करा सकती है । धनीखाड़ी तथा सिपिघाट बस्तियों में जैव - आरक्षण उद्यानो के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है तथा वन्डूर के पास परिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के विकास की क्षमता है । पहचान किए गए गांवों में सितारा होटल, कुटिया, सैरगाहो तथा तंबू में रहने के स्थल जैसे पर्याप्त पर्यटन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है ।

3.5.7 **औद्योगिक केन्द्र:** अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों के आर्थिक विकास के लिए मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शीतभण्डारों तथा मत्स्य प्रसंस्करण ईकाईयों जैसे मुलभूत ढांचा का सृजन करना आवश्यक है । प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय वायुपत्तन से समीपता तथा अनुकूल प्रेक्षण स्थल एवं जंगलीघाट में मत्स्य बन्दरगाह को देखते हुए डॉलीगंज की पहचान एक औद्यौगिक केन्द्र के रुप मे की गई है । मत्स्यकी तथा संबद्ध उद्योगो की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस केन्द्र में एक औद्यौगिक इस्टेट की स्थापना का प्रस्ताव है।

3.6 संपर्क एवं संयोजन

3.6.1 अच्छी परिवहन प्रणाली आर्थिक विकास की एक मुख्य घटक है । अ.नि.द्वीप में जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलाप, जीवन शैली में परिवर्तन तथा अन्य जनसांख्यिकी एवं सामाजिक विकास के परिणामस्वरुप वाहनों की संख्या एवं आवाजाही मे वृद्धि हुई है । पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र के भीतर परिवहन संयोजन अच्छी प्रकार स्थापित है । नियोजन सीमाओं के भीतर अन्य क्षेत्रो के लिए अण्डमान ट्रंक रोड तथा ग्रामीण सड़को द्वारा जुड़ा हुआ है । ऊँची-नीची जमीन तथा अन्य भू-आकृति के कारण नियोजन क्षेत्र के दूरस्थ केन्द्र से पोर्ट ब्लेयर नगर तक की यात्रा लंबी हो जाती है तथा यह 2 घंटे से अधिक का समय लेती है । नियोजन क्षेत्र के अन्य बस्तियों की तुलना में उत्तर में बम्बूफ्लाट तथा दक्षिण में गाराचरामा अपने समीपता एंव पहुंच के कारण अधिक विकसित है जबकि अन्य बस्तियां उचित सड़क जाल की कमी तथा सड़क की अवस्था के कारण विकसित नही हो सकी ।

अत: वर्णित नियोजन क्षेत्र के भीतर सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि पोर्ट ब्लेयर से डंडसप्वाइंट तक सभी पर्यटन केन्द्र को जोड़ते हुए सर्कूलर मेरीन ड्राईव का विकास करें । प्रस्तावित मेरीन ड्राईव द्वारा नियोजन क्षेत्र के भीतर व्यासीय संयोजन द्वारा टुसनाबाद, छोलदारी, वन्डूर, मंगलूटान तथा कालीकट को अच्छी तरह जोड़ा जा सकता है ।

3.7 जंनसख्या पूर्वनुमान

3.7.1 मास्टर प्लान के लिए भौतिक कार्यनीतियों पर समय एवं स्थान के अनूसार नये सिरे से विचार करने की अवश्यकता है जिसके लिए योजना अविधि हेतु जनसख्या अनुमान की अपेक्षा है तथा मुख्य प्रक्रिया के लिए स्थान हेतु तत्पश्चात आवश्यकता है । मास्टर प्लान अवधि को 2028 के अनुसार निश्चित की गई तथा उसी के अनुसार अतीत की वद्धि प्रवृत्ति तथा भविष्य की परिणामों के आधार पर अनुमान लगाई गई है ।

तालिका सं 3.7.1 जनसंख्या वृद्धिदर

बस्तियों के नाम	**वृद्धि दर (%)**		
	1971-81	1981-91	1999-2001
पोर्ट ब्लेयर	6.59	4.21	2.92
योजना क्षेत्र के भीतर राजस्व गाँव	5.50	5.93	3.37
पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र	6.23	4.80	3.37

तलिका 3.7.1 से यह ज्ञात होता है कि नियोजन क्षेत्र के पोर्ट ब्लेयर तथा राजस्व गांवो दोनो में 1971 से जनसंख्या वृद्धिदर 3.3% है । वृद्धि दर में कमी का कारण इस द्वीप में प्रचलित जन नीतियां है और मुख्य भूमि से संपर्कता की सीमाएं है । फिर भी सतत् विकास नीतियों तथा योजना अवधि 2028 के लिए विचार किए गए कार्यक्रमों के कारण यह विचार करे कि वृद्धिदर और तीव्रता से कम न हो तथा यह 2.5% से 3% के आसपास बना रहे । इस धारणा के आधार पर 2028 की प्रक्षेपण जनसंख्या का अनुमान प्रक्षेपण के विभिन्न तरीकों से किया गया है । इस तरह यह प्रक्षेपित किया गया है कि वर्ष 2028 तक पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र की जनसंख्या 2.87 लाख से 3.52 लाख के मध्य रहेगा। अत: भूमि उपयोग की आवश्यकता 3.52 लाख जनसंख्या की उच्चतम अनुमान के अनुसार होगा ।

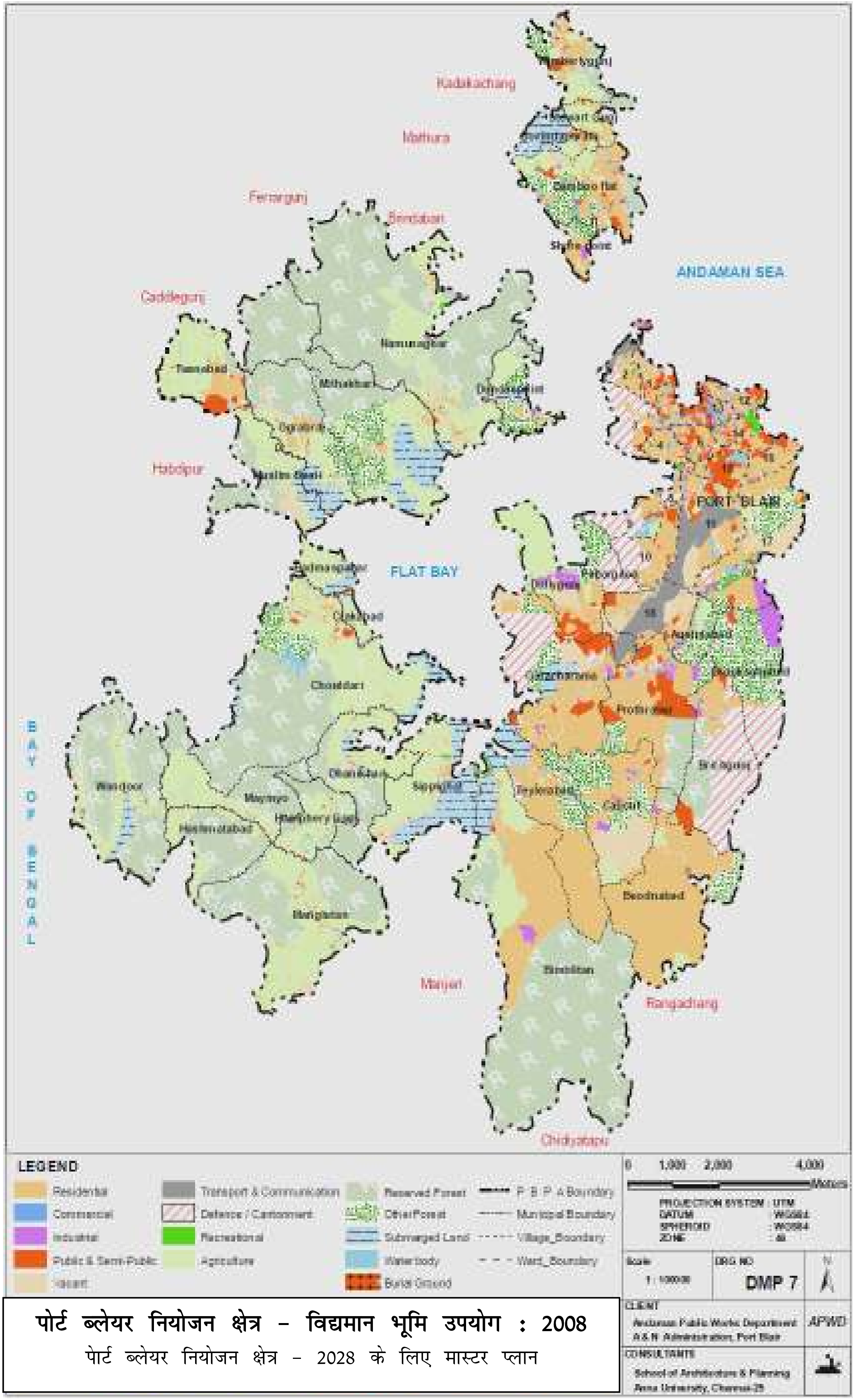

पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र – विद्यमान भूमि उपयोग : 2008

पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र – 2028 के लिए मास्टर प्लान